न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया जिला—हनुमानगढ(राज0)

पीठासीन अधिकारी : सोनाक्षी पाण्डेय (आर0जे0एस0)

निय0 आप0 प्र0 सॅं. : 640/19(838/21) सरकार बनाम बुधराम

एफ.आई.आर.न. : 436/2019 पुलिस थाना संगरिया

सी.आई.एस.न. : 640/2019

राजस्थान राज्य.....

बनाम्

बुधराम पुत्र दानाराम उम्र 33 साल निवासी वार्ड न.2 रासुवाला पुलिस थाना संगरिया जिला हनुमानगढ

अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित,

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से ।
2. श्री हरविन्द्र गर्ग, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से ।

—: निर्णय :— दिनॉकः 02.06.2026

हस्तगत प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक स्था./2021/13 दिनांक 12.07.2021 के अनुसरण में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संगरिया से अंतरित होकर दिनांक 17.08.2021 को इस न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ। जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

इस आपराधिक प्रकरण से सम्बन्धित अभियोजन कहानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 18.09.19 के वक्त 11.30 एएम पर श्री भूपसिंह हैड कानि 43 ओपी मालारामपुरा से रवानाशुदा पीबीएम होस्पीटल बीकानेर से पर्चा ब्यान श्रीमति गुडडी देवी के पर्चा बयान पर इस आशय की शिकायत दर्ज हुयी कि वह रासूवाला की रहने वाली है, तारीख 15.09.19 को सुबह 7 बजे बुधराम मेघवाल निवासी चक 12 केएसडी उसके लड़के सतपाल को पानी की बारी लगवाने के लिये उग्रसेन गोदारा के खेत में पानी लगवाने के लिये लेकर गया। उस दिन वह भी सुबह नरेगा में काम करने गई थी। उसकी पुत्र वधु जसविन्द्र कौर ने उसे आकर बताया कि ये अपने पति सतपाल को लेने के लिये उग्रसेन गोदारा निवासी ढाणी चक 10 केएसडी के खेत में गई तो उग्रसेन के खेत में बुधराम मेघवाल व सतपाल दोनों शराब पी रहे थे। जब उसने सतपाल को शराब पीने के लिये मना किया तो बुधराम ने उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की यह बात जसविन्द्र कौर ने उसे नरेगा में आकर बताई। फिर वे अपने घर आ गये। वह व उसके दोनों लड़के सतपाल व जसवीर सिंह, जसविन्द्र कौर अपने घर के आगे चबूतरे पर बैठे थे। समय करीब 11 बजे सुबह बुधराम मेघवाल मोटरसाईकिल लेकर गांव रासूवाला की ओर जा रहा था। उसने उसको ओलमा

देने के लिये बुधराम को हाथ से ईशारा कर रोकने की कोशिश तो वह मोटरसाईकिल को तेज गति से भगा कर ले गया। करीब 5 मिनट बाद बुधराम फिर वापिस मोटरसाईकिल तेज गति से चलाकर गांव की तरफ से आ रहा था। फिर उसने बुधराम को हाथ से ईशारा कर रोकने की कोशिश की तो बुधराम ने मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही से चला कर उसके टक्कर मारी जिससे में वही सडक पर गिर गई। मोटरसाईकिल के नम्बर का उसे पता नहीं है। कल सुबह उसे होश आया तो उसके पति ने बताया कि वह बीकानेर के सरकारी अस्पताल में भर्ती है, एक्सीडेंट से उसके सिर व दोनों पैरो पर चोट लगी है बुधराम ने मोटरसाईकिल को तेज व लापरवाही से चलाकर व नशा शराब में धुत होकर घटना कारित की है आदि–आदि। उक्त शिकायत पर बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध 279, 337, 338 भा.द.स. में अपराध प्रमाणित मानते हुये चार्जशीट न्यायालय में पेश की। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

उभय पक्ष की बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये गये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही ।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी0ड01 डा. अरविन्द शर्मा, पी0ड02 गुडडी, पी0ड03 जसविन्द्र कौर, पी0ड04 हिमांशु, पी0ड05 उग्रसेन, पी0ड06 सुरेश कुमार, पी0ड07 अशोक कुमार, पी0ड08 रचना, पी0ड09 राजेन्द्र कुमार, पी0ड010 भूप सिंह, पी0ड011 राजीव सहारण, पी0ड012 इन्द्र कुमार के बयान लेखबद्ध किये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में विभिन्न प्रदर्शो को प्रदर्शित कराया ।

अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत बयान मुलजिम लिये गये तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया। साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। साक्ष्य सफाई बंद की गई।

अतः प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय हैः–

"आया आरोपी ने दिनांक 15.09.2019 को सुबह लगभग 11.00 बजे स्थान ग्राम रासुवाला पर मोटरसाईकिल को लापरवाही व उपेक्षापूर्ण तेज गति से चालित कर परिवादी के टक्कर मारी, जिसके फलस्वरूप परिवादी के साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित हुई?

यदि हा तो उचित दण्ड क्या होगा?

उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का कथन रहा है कि अभियोजन कहानी से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पूर्णतः साबित है। सभी गवाहान ने अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। अतः अभियुक्त को आरोपित धारा में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्धान अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्यतः यह कथन रहा है

कि अभियुक्त निर्दोष है, उन्हे झूठा फसाया है। सभी गवाहान हितबद्ध साक्षी है, गवाहान के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। अभियोजन अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे।

बहस अंतिम सुनी गयी। निर्णयार्थ पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में कुल 12 गवाहान को पेश कर परीक्षित करवाया गया है।

गवाह पी.ड.1 डा. अरविन्द शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 15.09.2019 को सीएचसी संगरिया में एमओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने आपातकालीन कक्ष में गुड्डी देवी की चोट बाबत् मुआयना किया। सभी चोटें कुन्द हथियार से कारित थी। चोट नं. 5 साधारण प्रकृति की थी। 1 से 4 चोटों के लिए एक्सरे की राय दी गई। परन्तु आहता की बिगडती हालत के कारण सीएचसी संगरिया में एक्सरे नहीं कराया गया। आहता को अत्यधिक पसीनें आ रहे थे व छाती में बायीं ओर अत्यधिक दर्द था। अतः आहता को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रैफर किया गया था। चोटों की अवधि 3 घंटे के अन्दर की थी। दिनांक 22.10.2019 को पुलिस द्वारा पीबीएम हॉस्पीटल, बीकानेर से प्राप्त सत्यापित प्रतिलिपि मय चोट प्रतिवेदन हेतु तहरीर उसे उपलब्ध करायी। बेड हेड टिकिट के अनुसार चोट नं. 1 व 2 सामान्य प्रकृति की अंकित करी। आहता के एक्सरे में ईलाज हेतु डाले गए आर्टिकल दिख रहे थे तथा फैक्चर भी दिख रहे थे। चोट नं. 3 व 4 पूर्व की भांति गम्भीर अंकित की गयी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी चोटों का विवरण है सी से डी आहत का पहचान चिह्न है ई से एफ उसके हस्ताक्षर मय मोहर है जी से एच बीएचटी मय आहता दिनांक 22.10.2019 का विवरण अंकित है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। एक्सरे प्लेट आर्टिकल 1 व 2 है जिस पर ए से बी आहता का विवरण व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि उक्त प्रदर्श पी.1 की चोटे ठोस धरातल पर अचानक गिरने से आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

गवाह पी.ड.2 गुडडी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसका दिनांक 15.09.2019 को रविवार के दिन सुबह बुधराम उसके बेटे सतपाल को उग्रसेन की ढाणी में काम पर लेकर गया था। उसने मना किया था कि सतपाल की पत्नी लडाकी है इसे मत लेकर जाओ वह झगडा कर लेगी। परन्तु बुधराम उसे जबरदस्ती ले गया और वह नरेगा चली गयी। जिस पर उसकी बहु जसविन्द्र कौर उग्रसेन की ढाणी अपने पति सतपाल को लेने चली गई। वहां पर सतपाल व बुधराम पानी लगा रहे थे और शराब पी रहे थे बुधराम उसकी बहु के गले पड

गया। फिर उसकी बहु उसके पास नरेगा में आई और उसे सारी बात बताई और वो घर आ गए। और उसे उसकी बहु ने बताया कि बुधराम ने उसे एक थप्पड़ मारा है। फिर वह अपने घर के बाहर खडी थी इतने में सामने से बुधराम मोटरसाइकिल लेकर आया तो उसने उसे रूकने का ईशारा किया तो वह बाईक तेज चला के भाग गया। फिर 5 मिनट बाद दुबारा आया उसने उसे रोकने का ईशारा किया तो बुधराम ने मोटरसाइकिल को बहुत तेज चलाकर उसे टककर मार दी जिससे उसकी बांह टूट गई और सिर में चोट आई जिससे उसे कम दिखने लगा और उसकी दो पसलियां टूट गयी। फिर मांगीलाल जीप लेकर आया और संगरिया अस्पताल लेकर आये परन्तु अधिक चोटें होने के कारण हनुमानगढ़ लेकर गए और वहां से बीकानेर रैफर कर दिया। जहां पुलिस वाले उसके बयान लेने आये जहां उसके पर्चा बयान हुए जो प्रदर्श पी 3 है। जिस पर ए से बी स्थान पर उसके द्वारा दिए गए बयान एक्स स्थान पर अंगूठा निशानी है। उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना हुआ जो शामिल पत्रावली है। उसके पुलिस बयान हुए थे। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि उसका लडका सतपाल बहुत ज्यादा शराब पीता था। यह बात सही है कि बुधराम सडक से मोटरसाईकिल पर जा रहा था और उसने सडक के बीच आकर उसे रोकने का प्रयास किया।

गवाह पी.ड.3 जसविन्द्र कौर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब सात साल पहले की बात है। तारीख 15 थी सन् 2019 की बात है। 14 तारीख को उसने उसके पति को बताया था कि कल जागरण में जाना है आप कहीं मत जाना। फिर दिनांक 15 को बुधराम सुबह सात साढे सात बजे उनके घर पर आया और उसके पति सतपाल को उग्रसेन की ढाणी ले गया था। उसने मना किया था लेकिन वो जबरदस्ती ले गया। वह 10 बजे ढाणी चली गयी। ढाणी में पूछा तो उन्होंने कहा कि वहां ढाणी के पीछे पानी लगा रहे हैं। उसने पीछे जाकर देखा तो सतपाल और बुधराम दोनों शराब पी रहे थे। उसने सतपाल को पीने से मना किया तो बुधराम उसके गले पड गया और उसके थप्पड़ की मारी। फिर वह घर पर आ गयी और अपनी सास ससुर देवर को सभी को बताया। उसकी सास नरेगा से आयी थी। फिर करीब 11 बजे वो घर के बाहर खडे थे तब उन्होंने देखा कि बुधराम सामने से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा है उसकी सास ने उसे इशारा किया तो वह तेज गति से मोटरसाइकिल को भगा कर ले गया। फिर चार पांच मिनट बाद वापिस मोटरसाइकिल लेकर आया उसकी सास ने उसे रोकने का इशारा किया तो उसने मोटरसाइकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसकी सास में टककर मार दी जिससे उसकी सास के सिर, हाथ, पैर में चोटें आयी और फिर वो उसकी सास को उठाकर उसे संगरिया अस्पताल लेकर आ गये। जहां उन्होंने भर्ती नहीं किया फिर वो हनुमानगढ़ लेकर गये उन्होंने अधिक चोट लगने के कारण उसकी सास को बीकानेर रैफर कर

दिया फिर उन्होंने बीकानेर भर्ती करवाया। फिर तीसरे दिन पुलिस वाला आया था और उसकी सास के बयान लेकर गया था। उसकी सास के बहुत चोटें आयी थी। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि उसकी सास सडक पर दोनो हाथ सीधे करके बुधराम को रोक रही थी।

गवाह पी.ड.4 हिमांशु ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 22.10.2019 को वह सीएचसी संगरिया में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। उस रोज डॉ. अरविन्द्र शर्मा की उपस्थिति में और उनके बताये अनुसार मजरूब गुड्डी देवी के दो एक्सरे एक हाथ का और एक छाती का किया था। एक्सरे करकर उसने एक्सरे प्लेट डॉ. अरविन्द शर्मा को दे दी थी। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 2 है जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। एक्सरे आर्टिकल 1 व 2 है जिन पर ए से बी स्थान पर मजरूब के नाम आदि विवरण मय उसके व डॉ. अरविन्द शर्मा के हस्ताक्षर हैं।

गवाह पी.ड.5 उग्रसेन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.10.2019 को पुलिस ने उसके सामने एक मोटरसाइकिल जब्त किया था। जिसकी फर्द प्रद.पी 4 तेयार की जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पी.ड.6 सुरेश कुमार पक्षद्रोही घोषित हुआ है जो अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं करता है।

गवाह पी.ड.7 अशोक कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.09.2019 को वह पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर में सर्जन के पद पर कार्यरत था। उस रोज एक्सीडेंट में घायल मजरूबा गुड्डी देवी जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ से रैफर होकर पीबीएम हॉस्पीटल बीकानेर में आयी थी जिसे वहां भर्ती किया था। जिसका ईलाज उसके द्वारा किया गया था। जिसके अस्थि भंग(पसलियां टूटी हुई थी) हुई हुई थी और फेफडों में हवा व ब्लड इकट्ठा हुआ हुआ था जिसको निकालने के लिए उसकी यूनिट ने ट्यूब डाली थी। मजरूबा की बेड हेड टिकिट प्रदर्श पी 7 है जो करीब 68 पेजों की है जिन पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं।

गवाह पी.ड.8 रचना ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.09.2019 को वह पुलिस थाना संगरिया में एसआई के पद पर कार्यरत थी। उस रोज उसके पास थानाधिकारी का भी चार्ज था। उस रोज भूपसिंह एचसी गुड्डी देवी के पर्चा बयान पीबीएन हॉस्पीटल बीकानेर से लेकर उसके पास आये और मुकदमा दर्ज करने बाबत् पर्चा बयान उसे सुपुर्द किया। उसने पर्चा बयान का अवलोकन कर मुकदमा नं. 436/19 दर्ज कर अनुसंधान भूपसिंह एचसी को सुपुर्द किया। जिसका इन्द्राज पर्चा बयान प्रदर्श पी 3 पर सी से डी स्थान पर है जिसके नीचे ई से एफ स्थान पर उसके व जी से एच स्थान पर भूपसिंह एचसी के हस्ताक्षर हैं जिसके नीचे आई से जे स्थान पर एफआईआर नं. जनरेट करने मय उसके हस्ताक्षर हैं। दर्ज एफआईआर प्रदर्श पी 8 है जिस पर सी से डी स्थान पर

उसके व ए से बी भूप सिंह के हस्ताक्षर हैं जिसके हस्ताक्षर उसके अधीनस्थ कार्य करने के कारण वह पहचानती है।

गवाह पी.ड.9 राजेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30.10.2019 को वह पुलिस लाईन हनुमानगढ़ में हेड कानि. ड्राईवर के पद पर तैनात था उस रोज अनुसंधान अधिकारी भूपसिंह एचसी द्वारा मुकदमा नं. 436/2019 में एक्सीडेंट में जब्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल आरजे 31 एसपी 0749 का मैकेनिकल मुआयना करने बाबत् उसे कहा था, जिस पर उसने पुलिस थाना संगरिया में पहुंचकर उक्त मुकदमें में जब्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल आरजे 31 एसपी 0749 का मैकेनिकल मुआयना उसके द्वारा किया गया था। मोटरसाइकिल के आगे का मडगार्ड नया लगा हुआ था। वाइजर पर रगडक के निशान थे। लेग गार्ड मुचा हुआ था। पीछे के ब्रेक का पैडल टूटा हुआ था। आगे के दायीं साईड के शोकर पर रगड के निशान थे। मोटरसाइकिल चालू हालत में था और सभी कन्ट्रोल सिस्टम सही काम कर रहे थे। उसके द्वारा दी गयी मैकेनिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके द्वारा दी गयी रिपोर्ट है सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं।

गवाह पी.ड.10 भूप सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.09.2018 को वह पुलिस थाना संगरिया में एचसी के पद पर कार्यरत था। उस रोज एसएचओ के कहने पर वह पीबीएम हॉस्पीटल बीकानेर में भर्तीशुदा मजरूबरा गुड्डी देवी के पर्चा बयान लेने हेतु गया था। उसने उसके पर्चा बयान उसके कथनानुसार लेखबद्ध किये और उसे पढकर सुनाये। जिसने सही मानकर अपनी अंगूठा निशानी लगायी। पर्चा बयान प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके द्वारा लिये गये बयान हैं एक्स स्थान पर मजरूबा की अंगूठा निशानी है के से एल स्थान पर कार्यवाही पुलिस व मजरूबा के आयी गयी चोटों का विवरण है जिसके नीचे जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं एक्स स्थान पर गुड्डी देवी की अंगूठा निशानी है। पर्चा बयान लाकर उसने कार्यवाहक एसएचओ रचना बिश्नोई के समक्ष पेश कर एफआईआर दर्ज करवायी। उनके द्वारा मुकदमा नं. 436/2019 दर्ज कर अनुसंधान उसे सुपुर्द किया था। जिसका इन्द्राज पर्चा बयान प्रदर्श पी 3 पर सी से डी स्थान पर है जिसके नीचे जी से एच स्थान पर उसके और ई से एफ कार्यवाहक एसएचओ रचना बिश्नोई के हस्ताक्षर हैं। उसने अनुसंधान प्रारम्भ किया और घटना स्थल पर जाकर जसवीर सिंह की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 है जिस पर जी से एच स्थान पर उसके, ए से बी सी से डी मौतबिरानों के व ई से एफ जसवीर सिंह के हस्ताक्षर हैं हालात मौका तैयार किया जो कि प्रदर्श पी 6 ए है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। दुर्घटनाग्रस्त वाहन मोटरसाइकिल आरजे 31 एसपी 0749 को उसका मालिक अरविन्द कुमार ने पेश किया जिसका निरीक्षण कर जब्त कर फर्द तैयार की गई

जो कि प्रदर्श पी 4 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं ए से बी सी से डी मौतबिरानों के व ई से एफ मालिक अरविन्द के हस्ताक्षर हैं। वाहन मोटरसाइकिल के मालिक अरविन्द कुमार को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया गया जो कि प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं सी से डी स्थान पर मालिक का जवाब है ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं जिसने बरवक्त दुर्घटना बुधराम को चालक होना बताया था। उसकी पर्चा बयान लेने जाने हेतु रवानगी व वापसी रोजनामचा रजिस्टर के क्रमांक नं. 168 व 36 पर है। जिनकी प्रमाणित प्रतियां क्रमशः प्रदर्श पी 11 व पी 12 है जिन पर ए से बी थानाधिकारी के हस्ताक्षर हैं। मजरूब गुड्डी देवी, गवाह जसवीर सिंह, सुरेश कुमार, सत्तू उर्फ सतपाल, जसविन्द्र कौर, श्रवण सिंह के बयान उनके कथनानुसार उसके द्वारा लेखबद्ध किये गये। बाद अनुसंधान मुल्जिम बुधराम के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 337, 338 आईपीसी प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली वास्ते चालान हेतु एसएचओ इन्द्र कुमार को सुपुर्द की जिन्होने चालान न्यायालय में पेश किया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि गुडडी देवी ने अपने घर के पास आकर बुधराम का मोटरसाईकिल रोकने का प्रयास किया था।

गवाह पी.ड.11 राजीव सहारण ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.09.2019 को वह नेशनल इन्शोरेंस कम्पनी में एजेन्ट के रूप में कार्यरत था। उस दिन उसने मोटरसाइकिल नं. आरजे 13 एसपी 0749 का इन्शोरेंस उसके द्वारा किया गया था। इन्शोरेंस की अवधि दिनांक 12.09.2019 से दिनांक 11.09.2020 तक थी। मोटरसाइकिल अरविन्द कुमार पुत्र भूपराम के नाम से था। जिसकी फोटोप्रति शामिल पत्रावली है।

गवाह पी.ड.12 इन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 03.11.2019 को वह पुलिस थाना संगरिया में एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस रोज मुकदमा नं. 436/19 की अनुसंधान पत्रावली उसके समक्ष पेश हुई। उसने पत्रावली का अवलोकन किया तो अनुसंधान अधिकारी भूप सिंह एचसी द्वारा मुल्जिम बुधराम के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 337, 338 आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानना पाया। जिस पर उसके द्वारा उक्त मुल्जिम के खिलाफ उक्त धाराओं में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

इस प्रकार यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की रोशनी में यदि विचारणीय बिन्दु का अवलोकन करें तो प्रकरण में पीडिता गवाह पी.ड.2 गुडडी देवी द्वारा अपनी जिरह में स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि बुधराम सडक से मोटरसाईकिल पर जा रहा था और उसने सडक के बीच आकर उसे रोकने का प्रयास किया था। इसी प्रकार गवाह पी.ड.3 जसविन्द्र कौर द्वारा भी यह जिहर में स्वीकार किया गया है कि उसकी सास गुडडी सडक पर दोनो हाथ सीधे करते हुये बुधराम को रोक रही थी। घटना के अनुसंधान

अधिकारी पी.ड.10 भूपसिंह द्वारा भी अपनी जिरह में यह जाहिर किया गया है कि परिवादिया गुडडी देवी ने अपने घर के पास आकर बुधराम का मोटरसाईकिल रोकने का प्रयास किया था। इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये गवाहान द्वारा स्वयं यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि पीडिता गुडडी देवी द्वारा सडक पर आकर दोनो हाथ सीधे कर बुधराम का मोटरसाईकिल रोकने का प्रयास किया गया था। प्रदर्श पी.6 नक्शा मौका तथा हालात मौका प्रदर्श पी.6ए का भी अवलोकन करें तो एक्स स्थान वह स्थान दर्शाया गया है जहां पर मुलजिम बुधराम द्वारा परिवादिया के मोटरसाईकिल से टक्कर हुयी है तथा बिन्दु–7 गुडडी देवी का मकान होना प्रकट है जिससे स्पष्ट रूप से प्रकट है कि बुधराम जब अपनी मोटरसाईकिल से रासुवाला की ओर से गुडडी देवी के मकान को पार करते हुये जा रहा था तभी गुडडी देवी द्वारा अपने मकान से निकलकर अपने मकान के ही सामने सडक आम पर बुधराम की मोटरसाईकिल को रोकने का प्रयास किया गया जिससे कि उसकी मोटरसाईकिल अनियंत्रित हुयी ओर उसकी गुडडी देवी के साथ टक्कर हुयी।

अभियोजन किसी भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह साबित नहीं कर सका है कि घटना मुलजिम के उतावलेपन, या तेज गति व लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाने से कारित हुयी हो। अतः अभियुक्त बुधराम को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामतः अभियुक्त बुधराम पुत्र दानाराम उम्र 33 साल निवासी वार्ड न.2 रासुवाला पुलिस थाना संगरिया जिला हनुमानगढ को उनके विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अंतर्गत, अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु, राशि 10,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र एंव इसी राशि की एक प्रतिभू, इस न्यायालय में पेश करें।

(सोनाक्षी पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया

निर्णय आज दिनांक **02.06.2026** को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उ द्घोषित किया गया।

(सोनाक्षी पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया

नोट– मूल (सही दस्तावेज) से मिलान किया गया।

RAMESH KUMAR

Digitally signed by RAMESH KUMAR
Date: 2026.06.03 12:55:42 +0530